

35

12/531-56/06 - 423 (प०क०) दि/7.05.06

बिहार सरकार
स्वास्थ्य एवं प०क० विभाग

संकल्प

विषय- राज्य के नागरिकों को मुफ्त दवा एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बंध में : निजी चिकित्सकों की सेवाएँ लेने की शक्ति ।

राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक 24X7 की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । परन्तु विशिष्ट चिकित्सकों (Specialist). खासकर दंत, नेत्र रोग विशेषज्ञ, ई.एन.टी. विशेषज्ञ, महिला चिकित्सक, और्थोपेडिक सर्जन एवं सर्जन की कमी अक्सरहों देखने को मिल रहा है । स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने उक्त विषयों में विशिष्ट चिकित्सकों की कमी पूरा करने के उद्देश्य से निम्नवत निर्णय लिया है -

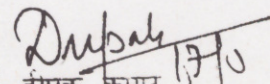
(क) जिला के सिविल सर्जन, जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन से, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अनुमंडलीय अस्पतालों एवं जिला अस्पतालों के लिए निजी क्षेत्र में कार्यरत/सेवा विशिष्टताओं के चिकित्सकों की सेवाएँ निम्न शर्तों पर ले सकेंगे -

- (i) प्रत्येक विशिष्टता के चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवाएँ सप्ताह में अधिकतम दो दिनों के लिये ली जा सकती है ।
- (ii) उन्हें प्रत्येक कार्य दिवस के लिये ₹0 500/-प्रति दिन की दर से भुगतान किया जायगा ।
- (iii) इन निजी चिकित्सकों की सेवाओं के फलाफल की साप्ताहिक मॉनिटरिंग जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा की जायेगी ।
- (iv) इनको देय राशि का भुगतान सम्बंधित अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र के लिये प्राप्त राशि के अन्तर्गत " 25 01 व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए अदायगियाँ " इकाई में किया जायगा ।

(ख) यह व्यवस्था 01 जुलाई, 2006 से प्रभावी होगी ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

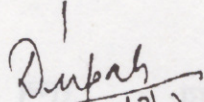
बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(दीपक कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 423 (फ० क०)

पटना, दिनांक 17/05/2006

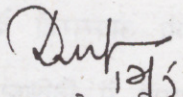
प्रतिलिपि - अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 423 (फ० क०)

पटना, दिनांक 17/05/2006

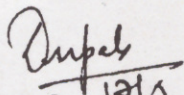
प्रतिलिपि - कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/सभी अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज अस्पताल/सभी अमेरिकी शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 423 (फ० क०)

पटना, दिनांक 17/05/2006

प्रतिलिपि - सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


सरकार के सचिव